

पत्रांक-7/मलेरिया-22-01/2018 09 (7)A
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संबंधित जिला पदाधिकारी,
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ-सह-नियंत्रि पदाधिकारी,
मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना
संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 07-06-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210061010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयों में कुल ₹16,89,93,850/- (सोलह करोड़ नवासी लाख तिरान्चे हजार आठ सौ पच्चास रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयों में कुल ₹16,89,93,850/- (सोलह करोड़ नवासी लाख तिरान्चे हजार आठ सौ पच्चास रुपये) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरण संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य- 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210061010003 के अन्तर्गत आय-व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्य मलेरिया कार्यालय के संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सह नियंत्रि पदाधिकारी / संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी एवं जिला मलेरिया कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे। प्राथमिक इकाई मजदूरी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्रि पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

5. डी०डी०टी० छिड़काव का सधन अनुश्रवण / पर्यवेक्षण संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। दवा छिड़काव का व्यापक प्रचार प्रसार होने के पश्चात निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करेंगे कि छिड़काव जिला परिषद् / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाय।

6. किराये के मकान में संचालित जिला मलेरिया कार्यालयों के किराये का भुगतान करने के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित जिला मलेरिया कार्यालय का किराया सरकार से स्वीकृत है। सरकार से किराया स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में मकान किराये का भुगतान नहीं किया जाय एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संगत कागजातों के साथ भेजी जाय।

7. सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यरत पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।



10. विवरणी-।। में कार्यालय व्यय इकाई में आवंटित राशि डी.डी.टी. के लिए रेलवे भाड़ा परिवहन एवं भंडारण हेतु नवादा/ गया/ रोहतास/ कैमूर/ औरंगाबाद/ मुंगेर एवं जमुई को संलग्न सूची के अनुसार आवंटन दिया जा रहा है, जिसकी निकासी संबंधित जिला पदाधिकारी ही मजदूरी इकाई की तरह पूर्व प्रचलित व्यवस्थानुसार करेंगे एवं राशि का व्यय इसी विनिदिष्ट कार्य के लिए सुनिश्चित करेंगे।

11. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

12. आवंटित राशि से किए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

15. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 09(7)9

पटना, दिनांक : 07-06-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी-I

वित्तीय द. 2018-2019 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (1-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13-02)	दूरभाष (13-03)	विद्युत प्रभार (13-04)	विधि प्रभार (13-05)	वर्दी/पोषाक (13-06)	किसाया महसूल एवं कर (14-01)	सामग्री एवं प्रतियोगिताएँ (21-01)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मुख्य मलेरिया कार्यालय, पटना	4500000	450000	1125000	50000	54000	54000	6233000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	6291250
2	क्षेत्रीय मलेरिया पदा, पटना	1100000	110000	220000	44000	13200	13200	1500400	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	1558650
3	क्षेत्रीय मलेरिया पदा, मुजफ्फरपुर	3500000	350000	350000	0	42000	42000	4284000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	4342250
4	क्षेत्रीय मलेरिया पदा, भागलपुर	4500000	450000	450000	0	54000	54000	5508000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5566250
5	क्षेत्रीय मलेरिया पदा, दरभंगा	4500000	450000	450000	0	54000	54000	5508000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5566250
6	अपर मुं वि० पदा, पटना	10000000	1000000	2500000	50000	120000	120000	13790000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	13848250
7	अपर मुं वि० पदा, गया	5200000	520000	520000	0	62400	62400	6364800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	6423050
8	अपर मुं वि० पदा, भोजपुर	5200000	520000	520000	0	62400	62400	6364800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	6423050
9	अपर मुं वि० पदा, नवादा	4200000	420000	420000	0	50400	50400	5140800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5199050
10	अपर मुं वि० पदा, नालन्दा	4200000	420000	420000	0	50400	50400	5140800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5199050
11	अपर मुं वि० पदा, औरंगाबाद	3500000	350000	350000	0	42000	42000	4284000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	4342250
12	अपर मुं वि० पदा, रोहतास	4200000	420000	420000	0	50400	50400	5140800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5199050
13	अपर मुं वि० पदा, भागलपुर	4500000	450000	450000	0	54000	54000	5508000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5566250
14	अपर मुं वि० पदा, मुंगेर	4500000	450000	450000	0	54000	54000	5508000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5566250
15	अपर मुं वि० पदा, वैशाली	4500000	450000	450000	0	54000	54000	5508000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5566250
16	अपर मुं वि० पदा, मुजफ्फरपुर	5200000	520000	520000	0	62400	62400	6364800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	6423050
17	अपर मुं वि० पदा, दरभंगा	5200000	520000	520000	0	62400	62400	6364800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	6423050
18	अपर मुं वि० पदा, सीतामढ़ी	4200000	420000	420000	0	50400	50400	5140800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5199050
19	अपर मुं वि० पदा, समस्तीपुर	4500000	450000	450000	0	54000	54000	5508000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5566250
20	अपर मुं वि० पदा, पूर्वी चम्पारण	5200000	520000	520000	0	62400	62400	6364800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	6423050
21	अपर मुं वि० पदा, प्रथमचरण	5200000	520000	520000	0	62400	62400	6364800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	6423050
22	अपर मुं वि० पदा, सारण	5200000	520000	520000	0	62400	62400	6364800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	6423050
23	अपर मुं वि० पदा, सीवान	4200000	420000	420000	0	50400	50400	5140800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5199050
24	अपर मुं वि० पदा, गोपालगंज	4200000	420000	420000	0	50400	50400	5140800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5199050
25	अपर मुं वि० पदा, बेगूसराय	4200000	420000	420000	0	50400	50400	5140800	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5199050
26	अपर मुं वि० पदा, पूर्णिया	4500000	450000	450000	0	54000	54000	5508000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5566250
27	अपर मुं वि० पदा, सहरसा	4500000	450000	450000	0	54000	54000	5508000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5566250
28	अपर मुं वि० पदा, कटिहार	3500000	350000	350000	0	42000	42000	4284000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	4342250
29	अपर मुं वि० पदा, मुबुनी	4500000	450000	450000	0	54000	54000	5508000	15000	8000	3500	1750	12000	2000	5000	9000	2000	5566250
	कुल	132400000	13240000	15525000	144000	1588800	1588800	164486600	435900	232000	101500	50750	348000	58000	145000	261000	58000	166175850

(सोलह करोड़ एकसठ लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पच्चास) रु० मात्र

09(1)A
07-06-18

सरकार के विशेष सचिव

()

सरकार के विभाग सचिव
 21/6/18
 132211

07-06-18
 09(7)0

(सहित करके) नवाश्री लाल अदरक डाला और भी पद्यां ५० भाग

क्रमांक	प्रशासनिक इकाई एवं कोड	विवरण-1	विवरण-11	कुल
1	वहन (01-01)	132400000	0	132400000
2	जीवन धारण भत्ता (01-03)	132400000	0	132400000
3	भक्तन विकास भत्ता (01-04)	15525000	0	15525000
4	परिवहन भत्ता (01-05)	144000	0	144000
5	विकास भत्ता (01-06)	1588800	0	1588800
6	अन्य भत्ता (01-07)	1588800	0	1588800
7	भारत (02-01)	0	2700000	2700000
8	भारत (11-01)	435000	0	435000
9	कार्यालय व्यय (13-01)	232000	118000	350000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13-02)	101500	0	101500
11	इंधन (13-03)	50750	0	50750
12	विद्युत भत्ता (13-04)	348000	0	348000
13	विविध भत्ता (13-05)	58000	0	58000
14	बढ़ी / पंशाक (13-06)	145000	0	145000
15	विकास भर्त्ता एवं कर (14-01)	261000	0	261000
16	भारत (21-01)	58000	0	58000
17	दवा भत्ता (21-02)	0	0	0
18	अनुसंधान एवं भर्त्ता (27-02)	0	0	0
19	अन्य भत्ता (50-01)	0	0	0
20	भारत एवं वपकर (52-01)	0	2818000	2818000
	कुल योग :-	166175850	2818000	168993850

विवरण-11

विवरण-111

सरकार के विभाग सचिव
 21/6/18
 132211

(अदरक) लाल अदरक डाला ५० भाग

क्रमांक	जिला का नाम	मजदूरी (02-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	कुल आवंटित राशि
1	नवादा	300000	18000	318000
2	गया	200000	15000	215000
3	बेदा	300000	20000	320000
4	कैमूर	500000	20000	520000
5	औरंगाबाद	400000	15000	415000
6	मुंगेर	400000	15000	415000
7	जमुई	600000	15000	615000
	कुल योग :-	2700000	118000	2818000

व्यय शीर्ष 2210-विकास भत्ता लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0003-राष्ट्रीय मलेरिया रोकथाम कार्यक्रम उपशीर्ष विपणन कोड-20-2210061010003 अन्तर्गत उल्लिखित प्रशासनिक इकाईयों में नवादा/गया/बेदा/कैमूर/औरंगाबाद/मुंगेर एवं जमुई जिलों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन


विवरण-11

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष
1	2	3	4	5
1	वेतन (0003-01-01)	243000000	132400000	110600000
2	जीवन यापन भत्ता (0003-01-03)	27000000	13240000	13760000
3	मकान किराया भत्ता (0003-01-04)	53303000	15525000	37778000
4	परिवहन भत्ता (0003-01-05)	423000	144000	279000
5	चिकित्सा भत्ता (0003-01-06)	8460000	1588800	6871200
6	अन्य भत्ता (0003-01-07)	6663000	1588800	5074200
	योग 20-2210.06.101.0003.01 वेतन	338849000	164486600	174362400
7	मजदूरी (0003-02-01)	10000000	2700000	7300000
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003-06-01)	500000	0	500000
9	यात्रा व्यय (0003-11-01)	1000000	435000	565000
10	कार्यालय व्यय (0003-13-01)	600000	350000	250000
11	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	200000	101500	98500
12	दूरभाष (0003-13-03)	100000	50750	49250
13	विद्युत प्रभार (0003-13-04)	500000	348000	152000
14	विधि प्रभार (0003-13-05)	100000	58000	42000
15	वर्दी / पोषाक (0003-13-06)	306000	145000	161000
16	किराया महसूल एवं कर (0003-14-01)	500000	261000	239000
17	प्रशिक्षण व्यय (0003-20-03)	2500000	0	2500000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0003-21-01)	100000	58000	42000
19	दवा भण्डार (0003-21-02)	800000	0	800000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0003-27-02)	1000	0	1000
21	मशीने एवं उपस्कर (0003-52-01)	1000000	0	1000000
	कुल योग:-	357056000	168993850	188062150

०९(७)०

०७-०६-१८


 ०७/०६/१८
 सरकार के विशेष सचिव
